भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 36
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: ओडिशा में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

***36. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ओडिशा में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कुल कितने किसान नामांकित किए गए हैं और जिला-वार कितने दावों का निपटान किया गया है;
(ख) क्या सरकार को पश्चिमी ओडिशा में मुआवजे में विलंब अथवा अस्वीकृत दावों के संबंध में किसानों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार का विचार ओडिशा में कार्यरत बीमा एजेंसियों के लिए सख्त निगरानी तंत्र शुरू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

ओडिशा में PMFBY के कार्यान्वयन के संबंध में लोकसभा में दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण |

(क) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत ओडिशा में पिछले पांच वर्षों के दौरान नामांकित किसानों की कुल संख्या और भुगतान किए गए दावों का जिलावार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (घ) : संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, फसल उपज/फसल नुकसान का आंकलन और स्वीकार्य दावों की गणना और भुगतान सीधे किसान के खाते में करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर थ्रेशोल्ड उपज एवं वास्तविक उपज अपलोड करने जैसे सभी प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और दायित्व योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों द्वारा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्यतः **(क) राज्य सरकार के हिस्से की सब्सिडी प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान करना (ग) उपज संबंधी आंकड़ों में विसंगति तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि** के कारण थी। इन मुद्दों के कारण लंबित हुए दावों का निपटान, योजना के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार किए गए निवारण के पश्चात् ही किया जाता है।

सरकार ने ओडिशा सहित पूरे भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसान का एकल विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्ति विशेष किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए केवल एक ही डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** विकसित किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें NCIP को

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से डीलिंक कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- PMFBY के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जा रहा है।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से प्रीमियम सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 से फसल क्षति एवं नुकसान के निष्पक्ष आंकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी लागू किया गया है :

I. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को धीरे-धीरे अपनाया जाएगा ताकि उपज का आंकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूँ की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 सीज़न से जोड़ा गया है।

II. ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने के लिए **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमे मौजूदा नेटवर्क का 5 गुना नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस

में दर्ज किया जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, अपितु प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हितधारकों/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में व्यापक संशोधन किए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की योजना के अंतर्गत लाभ पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँच सके।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: अक्टूबर, 2025 तक, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के दौरान, ओडिशा में नामांकित किसानों की संख्या और भुगतान किए गए दावों का जिलावार विवरण (अनंतिम)

ज़िला	नामांकित किसान (संख्या)	भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपये में)
अनुगुल	3,64,089	14.35
बलांगिर	6,70,074	454.68
बालेश्वर	4,54,364	47.77
बरगढ़	8,63,666	359.32
भद्रक	3,92,715	114.99
बौध	1,08,531	2.19
कटक	2,10,141	63.34
देवगड़	67,718	10.72
ढेन्कानाल	1,80,309	8.25
गजपति	76,328	2.51
गंजाम	6,51,011	58.59
जगतसिंहपुर	2,18,022	20.60
जाजपुर	3,66,582	140.65
झारसुगुडा	1,50,810	232.38
कलाहान्डी	4,87,540	266.56
कंधमाल	67,901	0.36
केन्द्रापड़ा	5,51,080	82.71
केन्दुझर	2,60,534	1.84
खोर्धा	2,87,941	29.91
कोरापुट	87,842	0.20
मालकानगिरि	74,161	0.23
मयूरभंज	2,43,634	2.78
नब़रंगपुर	1,40,870	5.53
नयागड़	1,51,666	8.20
नुआपड़ा	1,82,038	15.28
पुरी	5,63,855	296.49
रायगड़ा	1,28,916	0.20
सम्बलपुर	2,63,760	87.00
सुबर्णपुर	1,37,545	3.81
सुंदरगड़	4,51,403	248.59
कुल (ओडिशा)	**88,55,046**	**2,580.06**

******